



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275568
CG-DL-E-19082026-275568

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4392]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2026/श्रावण 27, 1948

No. 4392]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2026/SHRAVAN 27, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2026

का.आ. 4572(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 196 (अ), दिनांक 06 मार्च, 2000, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1192 (अ), दिनांक 03 दिसंबर, 2001 और तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 465 (अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2002 द्वारा तमिलनाडु राज्य में पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नया एनएच-44) के किमी 94.000 से किमी 134.000 तक और किमी 141.000 से किमी 156.000 तक (कर्नाटक और तमिलनाडु सीमा से सेलम खंड), किमी 134.000 से किमी 141.000 (कृष्णगिरि – सेलम – मदुरै खंड), किमी 156.000 से किमी 163.400 तक और किमी 163.400 से किमी 207.600 (बैंगलोर – सेलम – मदुरै खंड) तक के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की दिनांक 22.03.2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 622 (अ) का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, तमिलनाडु राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के किमी 94.000 से किमी 180.00 तक कृष्णागिरी से थुम्बीपाडी खंड के चार लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका (1) के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 63.40 कि.मी. की निवल सड़क खंड लंबाई [सारणी 2] तथा

6.880 किलोमीटर (0.688 किमी की लंबाई वाली [सारणी 4]) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर और 10 करोड़ रु या उससे अधिक की लागत वाले 21.912 कि.मी. लंबाई [सारणी 3] वाले बाईपासों के लिए आधार दर के डेढ़ गुना पर शुल्क उद्धृति करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरा वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी अथवा (.एम.सी.एच) अर्थ मूविंग उपस्कर (.वी.ए.एम) अथवा बहुधुरीय वाहन (ई.एम.ई) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्धृति और संग्रहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात:-

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (जचने)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले के पालयम गाँव के पास एनएच 44 के किमी 154.440 पर।	63.40 किमी [10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के लंबाई और 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

सारणी-3					
शुल्क प्लाजा का स्थान (चनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (किमी में)	
				लागत (करोड़ में)	

तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले के पालयम गाँव के पास एनएच 44 के किमी 154.440 पर।	कावेरीपट्टनम बायपास	100.950	106.100	4.85	>10 करोड़	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	पेरियामपट्टी बायपास	122.400	124.150	1.75	>10 करोड़	
	धर्मपुरी बायपास	133.100	148.650	15.312	>10 करोड़	
	कुल लंबाई			21.912		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित 60 पर (ज़ाओप्ला) गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की के समतुल्य 10 के लिए अवसंरचनाओं के उपयोग लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित समतुल्यित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा :

सारणी-4			
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित अवसंरचना की लंबाई ^A (कि.मी. में)	समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले के पालयम गाँव के पास एनएच के किमी 44 154. 440 पर।	0.688	6.880	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^A व्योरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार (चार लेन)	लंबाई (किमी में)
	से	तक		
1	103.188	103.413	बड़ा पुल	0.225
2	121.723	121.798	बड़ा पुल	0.075
3	105.877	105.952	फ्लाईओवर	0.075
4	116.871	116.946	फ्लाईओवर	0.075
5	137.727	137.802	फ्लाईओवर	0.075
6	142.097	142.172	फ्लाईओवर	0.075
7	136.495	136.583	आरओबी	0.088
कुल				0.688

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाज़ा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360/-रुपए (तीन सौ साठ रूपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, उक्त नियमों के नियम रदायी होगा। का भुगतान करने के लिए उक्त शुल्क के समतुल्यमें विनिर्दिष्ट शुल् 10
8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूटप्राप्त वाहनों की श्रेणी-, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
10. उपर्युक्त तालिका-1 में यथाउल्लिखित-, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे 5 एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।-कम एक-से-अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम
11. इस परियोजना की लंबाई की अनुमानित पूंजीगत लागत 353.28 करोड़ रुपए है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. पीआरओजे-16017(37)/7/2026-पीआईयू सेलमई /-269846]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2026

S.O. 4572(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 196 (E), dated the 6th March, 2000, in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1192 (E), dated the 3rd December, 2001 and in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 465 (E), dated the 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of the India Act, 1988 (68 of 1988), had entrusted the stretches from Km 94.000 to Km 134.000 and Km 141.000 to Km 156.000 (Karnataka and Tamil Nadu Border to Salem section), Km 134.000 to Km 141.000 (Krishnagiri – Salem – Madurai section). Km 156.000 to Km 163.400 and Km 163.400 to Km 207.600 (Bangalore – Salem – Madurai section) of National Highways Old No.7 (New NH-44) in the state of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008

(hereinafter referred to as the “rules”), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.622(E) dated 22.03.2010, the Central Government, hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 63.40 Kms [Table 2] and for equivalent structure length (having more than 60m) of 6.880 Km (having length of 0.688 Km [Table 4]) and at one and half times the base rate for bypasses having length of 21.912 kms [Table 3] costing rupees 10 cr or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four lane of Krishnagiri to Thumbipadi section from Km 94.000 to Km 180.00 of new National Highway no.44 in the State of Tamil Nadu and authorises the Authority to collect toll fee either through its officials or through an agency, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Over Sized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s), namely:-

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length in km for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 154.440 of NH 44, Palayam village in Dharmapuri District in the state of Tamil Nadu.	63.40 kms [Excluding length of bypasses (costing ≥Rs. 10 cr.) and structures length(>60 m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above.

2. In addition to above, the following fee shall be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) :-

Table 3						
Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable (Excluding length of structure > 60m length)		Rate at which fee is payable
				Length (In Km)	Cost (In crore)	
At Km 154.440 of NH 44, Palayam village in Dharmapuri District in the state of Tamil Nadu	Kaveripatnam Bypass	100+950	106+100	4.85	> 10 Cr.	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Periyampatti Bypass	122+400	124+150	1.75	> 10 Cr.	
	Dharmapuri Bypass	133+100	148+650	15.312	> 10 Cr.	
Total length				21.912		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10: -

Table- 4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures^ (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
Located at Km 154.440 of NH 44 at Palayam Village of Dharmapuri District in the state of Tamil Nadu	0.688	6.880	100% for four or more lane, of the base rate mentioned in Table-1above

^The details are as under: -

Sl. No.	Chainage (Km)		Type of Structure (4 Lane)	Length (in km)
	From	To		
1	103.188	103.413	Major Bridge	0.225
2	121.723	121.798	Major Bridge	0.075
3	105.877	105.952	Flyover	0.075
4	116.871	116.946	Flyover	0.075
5	137.727	137.802	Flyover	0.075
6	142.097	142.172	Flyover	0.075
7	136.495	136.583	ROB	0.088
Total				0.688

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs.360/- (Rupees Three Hundred and Sixty Only) for the FY 2026-27 which is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates namely:

Table 5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternate road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the over loaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspapers in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project length is Rupees **353.28 Crores**. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. PROJ-16017(37)/7/2026-PIU Salem/ E-269846]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.